T/ - 17/24 भंवरलाल बनाम डी०सी०ए०

7/6/24 पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्यों में व्यस्त है। अतः पत्रावली सुनवाई दिनांक 27/6/24 को पेश हो।

27/6/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थी सं० 1 बावजूद तामील उपस्थित नहीं। बहस वकील प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा की सुनी गई। बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है अतः प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली मिसल तैयार होकर दफ्तर से पाबंद वास्ते तामील हो।

(सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर विकास (सांगानेर))

Pr by Adv. Vishal Ji Joshi R/ Copy & report

18/1/24

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय, जयपुर

प्रार्थना–पत्र संख्या : /2023

1 भंवरलाल पुत्र रूडाराम जाति जांगिड निवासी– ग्राम जयसिंहपुरा बारा नेवटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

2 जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये सचिव पता :– कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

.....अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अनर्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

श्रीमान्,

यह कि प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना–पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1 यह कि प्रार्थी ने उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम माननीय न्यायालय में सुदृढ़ तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें प्रार्थीगण को सफलता की पूर्ण आशा है।

2 यह कि प्रार्थी अप्रार्थी की भूमि में से रास्ते का उपयोग–उपभोग करीब 70–80 वर्षो से कर रहे है तथा उक्त रास्ते का उपभोग अपनी उक्त आराजीयात् के कृषि कार्यो हेतू निर्बाध रूप से करते चले आ रहे है। अप्रार्थी उक्त रास्ते को बन्द करने पर आमादा है जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है। इस कारण प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित है।

3 यह कि प्रार्थी को अपनी उक्त धृति पर व रहवास हेतू बने अपने मकानात् व पशुओ के लिये बने बाडे पर आने–जाने, कृषि संयत्र ले जाने, कृषि कार्यो हेतु ट्रेक्टर–ट्रोली, गाडी, पशुधन इत्यादी ले जाने के लिए उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है।

4 यह कि अप्रार्थी ने यदि मान्य न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निस्तारित किये जाने से पूर्व ही वर्तमान रास्ते को बन्द कर दिया व मौके पर परिर्वतन इत्यादि कर दिया तो प्रार्थी को

भंवरलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:28:01 IST
Reason: SelfAttested